

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-प्र०म०ले०(ले०प० प्रथम) /सा०प्र० / नीलामी /2024-25/82

दिनांक 12.04.2024

इस कार्यालय द्वारा Weeding Out Records के निस्तारण/बिक्री हेतु (प्रति किलो के आधार पर) सीलबंद लिफाफे में दिनांक:19-04-2024 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कोटेशन आमंत्रित किया जाता है । **खुले हुए लिफाफे स्वीकार नहीं होंगे** । Weeding Out Records के निस्तारण/बिक्री की शर्तें निम्नलिखित हैं-

01. Weeding Out Records क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों को दिनांक: 12-04-2024 से दिनांक: 18-04-2024 को अपरान्ह 02.00 बजे तक कार्यालय परिसर में उक्त सामग्रियों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जायेगा ।

02. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ अग्रिम धनराशि के रूप में **₹०1000/-** (₹० चालीस हजार मात्र) का बैंक डिमांड ड्राफ्ट, जो "वेतन एवं लेखा अधिकारी", कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज के पक्ष में देय हो, **संलग्न करना** होगा । बिना अग्रिम धनराशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

03. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक कोटेशन दाता को अपनी पहचान एवं निवास से सम्बंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

04. कोटेशनदाता द्वारा प्रस्तावित दरों के **मुहरबंद** लिफाफे दिनांक:19-04-2024 को अपरान्ह 3.00 बजे तक वरिष्ठ उप-महालेखाकार / प्रशासन के प्रकोष्ठ में रखे बाक्स में डाले जाएंगे एवं तत्पश्चात **उसी दिन** दिनांक:19-04-2024 को निर्धारित समिति द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष अपरान्ह 4.00 बजे **खोले** जाएंगे ।

05. कोटेशन खोलने की तिथि से कोटेशन 30 दिनों के लिए **मान्य** होगा ।

06. सफल कोटेशनदाता को प्रस्तावित एवं स्वीकृत दर की कुल धनराशि तुरंत जमा करने के साथ- साथ सामग्री अगले **24 घंटे** (प्रातः **10.00 बजे** से सायं 05.00 बजे तक) के अन्दर उठानी होगी । यदि वह प्रस्तावित एवं स्वीकृत कुल धनराशि (अग्रिम धनराशि को घटा कर) तुरंत इस कार्यालय के रोकड़ शाखा में जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसे द्वारा जमा अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जाएगी । अग्रिम धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

07. यदि कोई सफल निविदा दाता कुल राशि जमा करने के बाद अगले **24 घंटे** (प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक) के अन्दर सामान नहीं उठा पाता तो उससे **₹० 100.00** प्रति दिन की दर से स्टोरेज चार्जस लिया जायेगा जो सामान उठाने की तिथि तक इस कार्यालय के रोकड़ शाखा में जमा करना होगा । निर्धारित स्टोरेज चार्ज के साथ सामान उठाने हेतु अधिकतम सात दिन का समय दिया जायेगा । सामान उठाने/ले जाने हेतु नियोजित श्रमिक, वाहन तथा अन्य मर्दों पर हुआ व्यय सम्बंधित कोटेशनदाता को वहन करना होगा ।

08. सक्षम अधिकारी द्वारा सामग्री उठाने हेतु निर्देशित किये जाने की दशा में, यदि कोई कोटेशनदाता अपने द्वारा अंकित की गयी दर पर सामग्री नहीं उठाता है तो, उसके द्वारा जमा की गयी अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जाएगी |
09. नीलामी में कार्यालय के कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी | ऐसा करने वाले कर्मचारियों का कृत्य, आचार नियमावली के प्रतिकूल समझा जायेगा |
10. किसी भी प्रकार के देय कर के भुगतान की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी |
11. किसी विवाद की स्थिति में वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा |

(हस्ताक्षरित)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / सामान्य प्रशासन

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-प्र०म०ले० (ले० प० प्रथम) /सा०प्र०/नीलामी/2023-24/719

दिनांक - 24.01.2024

नीलामी सूचना

इस कार्यालय में निष्प्रयोज्य सामग्रियों के निस्तारण/बिक्री हेतु (जहाँ है, जैसा है के आधार पर) सीलबंद लिफाफे में दिनांक: 19-04-2024 को अपरान्ह 03.00 बजे तक निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं ।

इच्छुक निविदादाता दिनांक: 12-04-2024 से दिनांक: 18-04-2024 को अपरान्ह 03.00 बजे से 04.00 बजे तक निष्प्रयोज्य सामग्रियों का निरीक्षण कर सकते हैं । निविदादाता को निविदा में भाग लेने हेतु अग्रिम धनराशि के रूप में रु०1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो "वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज" के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा । बिना अग्रिम धनराशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।

निविदा से सम्बंधित नियम एवं शर्तें अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 10-04-2024 से दिनांक: 18-04-2024 तक अपरान्ह 03:00 से 05:00 तक प्राप्त की जा सकती हैं।

(हस्ताक्षरित)

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी

सामान्य प्रशासन

सेवा में,

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

महोदय,

आपकी कार्यालय की निष्प्रयोज्य सामग्रियों के क्रय हेतु मैं अपनी दर निम्न प्रकार अंकित करता हूँ -

क्र०सं०	सामग्री का विवरण	मात्रा	सामग्री स्थल	कुल धनराशि (रु० में)
1.	Weeding out के अभिलेख	प्रति किलोग्राम	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उ०प्र०, प्रयागराज	

रोकड़ शाखा में जमा धनराशि

राशिद संख्या

दिनांक

संलग्नक-

1. रोकड़ शाखा में जमा धनराशि की रसीद की छायाप्रति ।
2. पहचान पत्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
3. पता से सम्बंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

भवदीय

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पूरा पता

मोबाइल न०